न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थी :–

बनाम

राकेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी
जाति माहेश्वरी निवासी, रूपनगढ़, अजमेर

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार परबतसर
2. राजेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी
   जाति माहेश्वरी, निवासी रूपनगढ़ अजमेर

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री अश्वनी भादू वकील प्रार्थी
मुकदमा नम्बर :– 2024/220

निर्णय दिनांक :–28.08.2024

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी भादू ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मौजा परबतसर, पटवार क्षेत्र परबतसर भू.अ निरीक्षक क्षेत्र परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 36 में स्थित खसरा नम्बर 1675 रकबा 3.4500 हैक्टर किश्म बारानी तृतीय जमीन जमाबंदी तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार अशोक कुमार साहु पुत्र मदनलाल साहु जाति तेली निवासी मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 सगे भाई है। प्रार्थी राकेश कुमार व अप्रार्थी संख्या 2 राजेश कुमार दोनों भाइयों ने अशोक कुमार साहु से उसकी खातेदारी सुदा जमीन खसरा सं. 1675 रकबा 3.4500 हैक्टर जमीन में से रकबा 1.1190 हैक्टर जमीन जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 11.10.2016 को कृषि प्रयोजनार्थ 1 राजेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी 2 राकेश कुमार मोदानी पुत्र श्री घीसालाल मोदानी ने अशोक कुमार साहु के हिस्से में से 1/2, 1/2 कुल रकबा 1.1190 हैक्टर बराबर खरीदा था। खेत खसरा संख्या 1675 रकबा 3.4500 हैक्टर में से दोनों भाईयों ने कृषि भूमि खरीदी थी जिसका नामान्तरण इनके नाम दिनांक 06.12.2016 जरिये नामान्तरण संख्या 376 के राजेश कुमार मोदानी का हिस्सा 0.5595 हैक्टर व राकेश कुमार मोदानी का हिस्सा 0.5595 हैक्टर दर्ज हुआ। सम्वत 2074 की जमाबन्दी में पटवारी परबतसर से भूलवंश खातेदारी संख्या 7 पर केवल ही राजेश कुमार मोदानी व खातेदार संख्या 08 पर राकेश कुमार मोदानी के स्थान पर वापस राजेश कुमार मोदानी ही दर्ज कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है क्योकि इससे पहले सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 376 में दोनों भाईयों का नाम दर्ज हो चुका था। प्राथी व अप्रार्थी संख्या 02 दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने कोई शुद्धि पत्र

शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थी का नाम खातेदारी से हटाया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1675 की जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर पता चला की पहले तो प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज था मगर अब नई जमाबंदी में राकेश कुमार मोदानी के स्थान पर केवल राजेश कुमार मोदानी दर्ज हो रखा है। प्रार्थी राकेश कुमार मोदानी का नाम उसके आधारकार्ड, वोटरकार्ड, व अन्य दस्तावेजों में राकेश कुमार मोदानी ही दर्ज है। इसलिय प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1675 में रकबा 1.1190 हैक्टर में राकेश कुमार मोदानी का नाम दर्ज कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए तो अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने तथा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रार्थना –पत्र पेश किया। जिसमें अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के सभी पैरा स्वीकार करते हुए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 1 सरकार को पत्र संख्या 676 दिनांक 15.07.2024 को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा जवाब भिजवाया गया, जिसके अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 1675 रकबा 3.45 हैक्टर दर्ज था। खातेदार अशोक कुमार साहु पुत्र मदनलाल साहू का हिस्सा पूर्ण था। नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 06.02.2016 में बेचान द्वारा राजेश कुमार मोदानी पुत्र श्री घीसालाल मोदानी 0.5595 हैक्टर (373 / 2300 हिस्सा)व राकेश कुमार मोदानी पुत्र श्री घीसालाल मोदानी 0.5595 हैक्टर (373 / 2300 हिस्सा) दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 821 दिनांक 06.10.2020 द्वारा बेचान से राजेश कुमार मोदानी पुत्र श्री घीसालाल मोदानी ने 0.4662 हैक्टर (777 / 5750) हिस्सा क्रय किया। राजेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी का कुल हिस्सा 373 / 2300 व 777 / 5720 कुल हिस्सा रकबा 3419 / 11500 होना चाहिए था तथा राकेश कुमार मोदानी पुत्र श्री घीसालाल का हिस्सा 373 / 2300 हुआ। नामान्तरण संख्या 976 दिनांक 20.11.2021 माननीय न्यायालय के धारा 136 में दिए गए निर्णय अनुसार राजेश कुमार मोदानी पुत्र घीसालाल मोदानी का हिस्सा 1321 / 2875 (3419 / 11500 व 373 / 2300) दर्ज हुआ तथा वर्तमान में भी 1321 / 2875 दर्ज है। अतः जवाब सरकार में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजेश कुमार मोदानी का हिस्सा 3419 / 11500 व राजेश कुमार मोदानी का हिस्सा 373 / 2300 किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार जवाब सरकार आने से जवाब बन्द कर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का समर्थन करते हुए खसरा संख्या 1675 व नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 06.02.2016 के अनुसार राकेश कुमार के हिस्से में 1/2 हिस्सा अर्थात 373/2300 किया जाना जाहिर किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों का पर्यवेक्षण किया तो प्रार्थी के दस्तावेजों (आधार कार्ड, पैन कार्ड) में नाम राकेश कुमान मोदानी दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राकेश कुमार मोदानी का हिस्सा 373/2300 किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार जवाब सरकार दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 06.02.2016 के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खरीदी गई भूमि में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा अर्थात 373/2300 व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा सही किया जाकर राजेश कुमार मोदानी का कुल हिस्सा नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 06.02.2016 के अनुसार 373/2300 व नामान्तरण संख्या 821 दिनांक 06.10.2020 के अनुसार 777/5750 क्रय हिस्सा जोडते हुए कुल 3419/11500 व राकेश कुमार मोदानी का हिस्सा 373/2300 हिस्सा शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट निर्णय का हिस्सा रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारामद हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर